मुंबई-॥,ठाणे अंचल के लिए अधिवक्ताओं के पैनल के लिए आवेदन आमंत्रित करने की सूचना

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) जो कर्मचारी भविष्य निधि, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, केंद्रीय बोर्ड की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट और सीजीआईटी। और ॥, मुंबई, जिला उपभोक्ता फोरम (मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगढ़, पालघर) और जिला अदालत और कैट, मुंबई के समक्ष केंद्रीय बोर्ड, ईपीएफ का प्रतिनिधित्व करने के लिए पैनल परामर्शदाता को नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है।

प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया / स्टेट बार काउंसिल के साथ पंजीकृत हैं, वे पैनल में शामिल होने के पात्र हैं। योग्यता, अनुभव, शुल्क की अनुसूची, अन्य नियम और शर्तें और आवेदन प्रारूप जिसमें आवेदन करना है, विहित किया गया है।

इस नोटिस द्वारा नए पैनल को अंतिम रूप दिए जाने के बाद अधिवक्ता जो ईपीएफओ के मौजूदा पैनल में हैं, वे ईपीएफओ के पैनल में नहीं रहेंगे। इसलिए मौजूदा पैनल अधिवक्ता भी इस नोटिस के जवाब में नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं।

पात्र अधिवक्ता को संलग्न अनुलग्नक "ए" और "बी" में विहित प्रारूप में समर्थक सभी दस्तावेजों के साथ सीलबंद लिफाफे में आवेदन निम्नलिखित को भेजना होगा।

अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अंचल कार्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, वरदान कमर्शियल कॉम्प्लेक्स छठी मंजिल, एमआईडीसी, रोड नंबर 16, वागले एस्टेट, ठाणे। मुंबई– 400604

लिफाफा के ऊपर इस प्रकार लिखा होना चाहिए:-

"उच्च न्यायालय/सीजीआईटी।और ॥आदि के लिए अधिवक्ता के पैनल के लिए आवेदन"

समर्थक दस्तावेजों के साथ विहित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर, 2021 दोपहर 04.00 बजे तक है।

ईपीएफओ में पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन किसी आवेदक को कोई अधिकार/आश्वासन प्रदान नहीं करता है कि उसे ईपीएफओ के पैनल में शामिल किया जाएगा। चयनित अधिवक्ताओं को उनके पैनल में शामिल होने की पुष्टि करने वाले पत्र ईपीएफओ द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।

अधिवक्ताओं के पैनल के लिए दिशानिर्देश

विभिन्न न्यायालयों के समक्ष ईपीएफओ का प्रतिनिधित्व करने और सहायता करने के लिए अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध करने के तरीके और प्रक्रिया को प्रदान करने और विनियमित करने के लिए और मामलों के रेफरल और शुल्क / पारिश्रमिक के भुगतान को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। ये दिशानिर्देश इस संबंध में सभी मौजूदा निर्देशों, यदि कोई हो, का स्थान लेंगे और बिना कोई कारण बताए परिवर्तन के अधीन हैं।

1. पैनल की पात्रता

आवेदन पत्र भरने से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नीचे उल्लिखित ईपीएफओ में अधिवक्ताओं के पैनल के लिए पात्रता मानदंड, निर्देशों और नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें:-

(ए) बॉम्बे उच्च न्यायालय में मामलों के संचालन के लिए योग्यता और अनुभव

- i) स्टेट बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकित/पंजीकृत हो
- ii) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (ई.पी.एफ. और एमपी एक्ट, 1952) या आगामी सामाजिक सुरक्षा संहिता के विशेष संदर्भ में श्रम कानूनों के उचित ज्ञान के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल, सेवा, श्रम, मध्यस्थता मामलों और अन्य मामलों को संभालने का कम से कम 10 वर्ष सुसंगत अनुभव।

(बी) सीजीआईटी में मामलों के संचालन के लिए पात्रता और अनुभव

- i) स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित/पंजीकृत हों।
- ii) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952) या आगामी सामाजिक सुरक्षा संहिता के विशेष संदर्भ में श्रम कानूनों के उचित ज्ञान के साथ सिविल, क्रिमिनल, सर्विस, श्रम, मध्यस्थता मामले और अन्य मामले का कम से कम दस साल का सुसंगत अनुभव।

2. पैनल का कार्यकाल

प्रारंभिक पैनल लगभग दो वर्ष की अविध के लिए होगा अर्थात 01.12.2021 से 31.12.2023 तक की अविध हेतु अधिवक्ता के पैनल में बने रहने के लिए पैनल में शामिल अधिवक्ताओं के कार्य निष्पादन की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाएगी।

3. शुल्क का भुगतान और अन्य शर्तें

- i) अधिवक्तायों को देय शुल्क संलग्न अनुलग्नक 'सी' के रूप में शुल्क की अनुसूची द्वारा इन दिशा निर्देशों द्वारा विनियमित होगा जो समय- समय पर संशोधित होगा।
- (ii) सक्षम प्राधिकारी को मामले के महत्व और किसी विशेष मामले में अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शुल्क से अधिक शुल्क के भुगतान को मंजूरी देने का अधिकार असाधारण मामलों में होगा।
- (iii) किसी भी ऐसे पैनल अधिवक्ता को केवल इसलिए रिटेनर फीस का भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि उस अधिवक्ता को पैनल में रखा गया है।

4. पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया

- ए) आवेदक अधिवक्ता को केवल ईपीएफओ द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन करना होगा और किसी अन्य प्रारूप में किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- बी) जो आवेदक अधिवक्ता एक से अधिक फोरम (अर्थात बॉम्बे उच्च न्यायालय या सीजीआईटी । और ॥ के लिए) के लिए पैनल में शामिल होने के इच्छुक हैं, वह प्रत्येक फोरम के लिए अलग-अलग लिफाफे में अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।
- सी) विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- डी) किसी भी आवेदक अधिवक्ता को साक्षात्कार/बातचीत के लिए तब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि वह पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता/करती है और उसे शॉर्टिलस्ट नहीं किया जाता है।
- इ) ईपीएफओ के पास आवश्यकता और प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर, पैनल में शामिल होने के लिए साक्षात्कार/बातचीत के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टिलस्ट करने का अधिकार सुरक्षित है।
- एफ) केवल पात्रता मानदंड को पूरा करने से आवेदक अधिवक्ता को साक्षात्कार/बातचीत के लिए बुलाए जाने और चुने जाने का कोई अधिकार नहीं मिल जाएगा।
- जी) उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग और चयन के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- एच) किसी भी रूप में प्रचार को अयोग्यता के रूप में माना जाएगा। ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

- आई) साक्षात्कार/बातचीत की तिथि, समय और स्थान के साथ शॉर्टिलस्ट किए गए आवेदक अधिवक्ताओं की सूची उनके व्यक्तिगत ई-मेल आईडी पर सूचित की जाएगी।
- जे) आवेदक अधिवक्ता को साक्षात्कार/बातचीत के समय मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे।
- के) चयनित अधिवक्ताओं की सूची ईपीएफओ की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। ईपीएफओ द्वारा अलग से पैनलित किया जाना, जारी किया जाएगा। आवेदक अधिवक्ताओं को उन्हें पैनलित किए जाने की पुष्टि के लिए ईपीएफओ द्वारा पत्र अलग से जारी किया जाएगा।

5. पैनल में शामिल अधिवक्ताओं के कर्तव्य:

- 1. अधिवक्ता ईपीएफओ के खिलाफ किसी भी पक्ष को सलाह नहीं देगा या किसी भी मामले को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें वह उपस्थित हुआ है या उसे पेश होने या सलाह देने के लिए बुलाया जा सकता है जिससे ईपीएफओ के खिलाफ मुकदमेबाजी प्रभावित होने की संभावना है।
- 2. कोर्ट में ईपीएफओ के मामलों को लड़ने के लिए काउंसेल की समय पर उपस्थिति जरूरी है। बिना किसी उचित आधार और अग्रिम सूचना के न्यायालय में उसकी अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पैनल में शामिल अधिवक्ता को मामले में प्रतिवाद करने के लिए अपने किनष्ठ अधिवक्ता की प्रतिनियुक्ति नहीं करनी चाहिए।
- 3. ईपीएफओ पैनल अधिवक्ताओं को मामले की सुपुर्दगी के संबंध में ईमेल के माध्यम से जानकारी भेजता है और ई-मेल प्राप्त करने के बाद, पैनल अधिवक्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे शीघ्र ईपीएफओ के संबंधित कार्यालय से असाइनमेंट पत्र के साथ याचिका की संक्षिप्त / प्रति एकत्र करें।
- 4. ईपीएफओ अपनी पसंद के किसी भी अधिवक्ता को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है और पैनल में शामिल अधिवक्ता यह दावा नहीं करेगा कि उसे अकेले ही ईपीएफओ के कानूनी मामला/मामलों को सौंपा जाना चाहिए।
- 5. बिना किसी उचित कारण (जैसे हितों के टकराव के आधार पर) के किसी भी अधिवक्ता द्वारा किसी भी काम को स्वीकार करने से इनकार करने पर ऐसे अधिवक्ता को बिना पैनल की अविध समाप्त होने की प्रतीक्षा किए पैनल से तुरंत हटाया जा सकता है।
- 6. अधिवक्ता ईपीएफओ द्वारा समय-समय पर निर्धारित पैनलित करने के नियमों और शर्तों को स्वीकार करेंगे।
- 7. यह सुनिश्चित करने के लिए कि संचलित किए जा रहे मामलों पर प्रभावी जांच-पड़ताल हो, पैनल के अधिवक्ताओं को सुनवाई की प्रत्येक तिथि के बाद मामलों की स्थिति की रिपोर्ट करनी चाहिए।मामले की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता संबंधित वकील के नाम को पैनल से हटाने का आधार होगी।

- 8. उन मामलों में जहां भारत संघ के अनुरोध पर, श्रम और रोजगार मंत्रालय का भी प्रतिनिधित्व किया जाना है, भारत संघ, श्रम और रोजगार मंत्रालय के हितों को देखने और उनकी रक्षा करने के लिए सीबीटी पहले से ही एक पार्टी है,अधिवक्ता को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।
- 9. उच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक निकायों के समक्ष विशेष मामलों में लगे विशेष या विशेष काउंसेल को यदि आवश्यक हो, तो सभी सहायता प्रदान करें।
- 10. नामित मामलों में सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों, सुनवाई की तारीखों, अदालत के फैसले की तारीख पर आदेश, आदेशों/निर्णय की प्रति की आपूर्ति आदि के बारे में ईपीएफओ को सूचित करें और अद्यतन रखें।
- 11. उच्च न्यायालय/सीजीआईटी । और ॥ या किसी अन्य प्राधिकारी और उनके परिणामों के समक्ष उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मामलों के बारे में मासिक विवरण प्रस्तुत करें।
- 12. जब संगठन के खिलाफ उनके द्वारा उपस्थित किसी भी मामले का फैसला किया जाता है, तो संबंधित अधिवक्ता को ऐसे प्रतिकूल आदेश के कारणों के बारे में सोच विचार कर अपनी राय देनी होगी और ऐसे निर्णय पर अपील दायर करने की सलाह आदेश के 5 कार्य दिवसों के बाद नहीं होनी चाहिए। (कच्चा प्रति) ।
- 13. यदि निर्णय की प्रमाणित प्रति ईपीएफओं के कानूनी प्रकोष्ठ को फैसले के तारीख के बाद तीन दिनों के भीतर (प्रतिलिपि तैयार करने में न्यायालय द्वारा लिए गए समय को छोड़कर) नहीं सौंपी जाती है,तो काऊंसेल को देय शुल्क का 30% काटा जाएगा।

6. पैनल से हटाना

ईपीएफओ बिना कोई कारण बताए एक महीने के लिखित नोटिस के द्वारा पैनलित काऊंसेल को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। काऊंसेल एक महीने का लिखित नोटिस देकर पैनल से इस्तीफा भी दे सकता है।

अधिवक्ता की ओर से निम्नलिखित में से कोई भी अक्षमता होने के कारण पैनल में शामिल होना रद्द किया जा सकता है।

- (i) पैनल में शामिल करने के लिए आवेदन में गलत जानकारी देना।
- (ii) बिना किसी पर्याप्त कारण और/या पूर्व सूचना के मामले की सुनवाई में उपस्थित न होना
- (iii) ईपीएफओ के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करना या विशिष्ट निर्देशों के विरुद्ध जाना
- (iv) ईपीएफओ के किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या प्रतिनिधि को धमकी, डराना या गाली देना।

- v) ईपीएफओ के मामले से संबंधित जानकारी जिससे ईपीएफओ के हितों को कोई नुकसान होने की संभावना हो को विरोधी पक्षों या उनके अधिवक्ताओं या किसी तीसरे पक्ष को देना।
- (vi) मामले की कार्यवाही के संबंध में ईपीएफओ को झूठी या भ्रामक जानकारी देना; तथा
- (vii) बार-बार स्थगन की मांग करना या पर्याप्त कारण के बिना दूसरे पक्ष द्वारा पेश किए गए स्थगन पर आपत्ति न करना
- (viii) एडवोकेट की "पास ओवर" या "प्रॉक्सी" प्राप्त होने पर भी अदालती कार्यवाही से बार-बार अनुपस्थिति।

गणेश कुमार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-। आंचलिक कार्यालय, मुंबई-॥ (ठाणे) आवेदन संख्या ----- (ईपीएफओ द्वारा भरा जाना है)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पैनल के लिए आवेदन पत्र (सभी आवेदक अधिवक्ताओं द्वारा भरे जाने के लिए)

सेवा में, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अंचल कार्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, वरदान कमर्शियल कॉम्प्लेक्स छठी मंजिल, एमआईडीसी, रोड नंबर 16, वागले इस्टेट, ठाणे,मुंबई- 400604 टेलीफोन:- -022-68806602

नाम (बड़े अक्षरों में)							
पिता का नाम							
अदालत जिसके लिए							
आवेदन किया							
	जांच सूची						
सलग्न दस्तावेजों की सूच							
सभी लॉ डिग्री सर्टिफिव	केट की कॉपी						
अनुभव प्रमाणपत्र	अनुभव प्रमाणपत्र						
विधिवत रूप से भरा गया अनुलग्नक –ए और बी							
अन्य (कृपया उल्लेखित							
_	1)						
	0)						

		व्यक्तिगत विवरण (बड़े अक्षरों में)
1	पूरा नाम	
2	पिता /पति का	
	नाम	
3	जन्म तिथि	
4	राष्ट्रीयता	
5	वैवाहिक स्थिति	
6	पत्राचार के लिए	
	पता,पिन के साथ	
7	कार्यालय/कक्ष का पता ,	
	यदि कोई हो, पिन सहित	
8	मोबाईल नंबर	
9	इमेल आईडी	
10	क्या आप किसी	
	इपीएफओ कर्मचारी	
	से सबंधित है ?(अर्थात	
	नाम,पद्नाम,करी का	
	स्थान और आवेदक	
	के साथ नातेदारी)	

13. शैक्षिकण योग्यता का विवरण

परीक्षा	बोर्ड/विश्व	वर्ग/श्रेणी	% अंको का	विषय	उत्तीर्ण करने का वर्ष
उत्तीर्ण	विद्यालय का		प्रतिशत		
	नाम				
स्नातक की					
पढाई					
एलएलबी/लॉ					
ग्रेजुएशन डिग्री					
पोस्ट					
ग्रेजुएशन					
अन्य					
व्यावसायिक					
योग्यता					

14. यदि आवेदक वर्तमान में किसी अन्य सरकारी विभाग/पीएसयू/सांविधिक निकाय/स्वायत्त निकाय आदि के पैनल में है, और यदि हां, तो नीचे दिए गए विवरण (कार्यालय आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति/पैनलित किए जाने का पत्र संलग्न किया जा सकता है) :-

विभाग/पीएसयू/सांविधिक निकाय/स्वायत्त निकाय	से	तक
का नाम		
1.		
2.		
3.		

15. क्या आवेदक ने कानूनी शोधकर्ता (एलआर) के रूप में काम किया है जो किसी कोर्ट/जज से जुड़ा हुआ है? यदि हां, तो विवरण और समर्थक दस्तावेज: –

न्यायालय/न्यायाधीश का नाम	अनुसंधान की अवधि	समर्थक दस्ताऐवज

16. यदि आवेदक एक या अधिक अधिवक्ता के किनष्ठ के रूप में संबद्ध हैं, तो उनका विवरण नीचे दिया जाए:

क्रम सं.	अधिवक्ता का नाम और संपर्क नंबर	नामांकन संख्या दिनांक सहित

17. आवेदक के पास उपलब्ध निचे दी गए अवसंरचनात्मक सुविधाएं (यदि उपलब्ध हो तो कृपया टिक करें):-

क्र.स.	कार्यालय क्षेत्र	कार्यालय लिपिक	स्टेनो /टाइपिस्ट	सहायक स्टाफ

			$\overline{}$	<u> </u>		7 0						
है:-												
18. ईपीएफ	और	एमपी	<u>અધિ</u> નિ	नेयम'1952	से	संबंधित	मामलों	की	संख्या	, यदि	पहले	संभाली

क्र. सं	मामले का शीर्षक (दस्तावेजी प्रमाण सलंग्न होना चाहिए)

19. यदि आवेदक को किसी ऐतिहासिक या मूल मामले में वकील के रूप में (वकालतनामा के माध्यम से) नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो मामले का विवरण उस निर्णय की प्रति के साथ जिसमें उसका नाम किसी एक पक्ष के अधिवक्ता के रूप में दर्ज है (आदेश/निर्णय की प्रति प्रमाण के रूप में संलग्न करें):

न्यायालय का नाम	मामले का शीर्षक	निर्णय की प्रकृति

20. क्या पिछले पांच वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल किया जा रहा है? हां/नहीं (यदि हां, तो कृपया आईटीआर की प्रतियां संलग्न करें)

21. बैंक खाते/आधार संख्या का विवरण नीचे दिया जाए:-

बैंक खाता विवरण	पैन नंबर	आधार नंबर
(बैंक, खाता संख्या		
,शाखा का पता और		
IFCS कोड		

22. यदि कथित पेशेवर कदाचार के लिए बार काउंसिल की अनुशासन समिति के समक्ष कोई कार्यवाही शुरू की गई है या जारी है:

क्र.स.	अभिकथन विवरण	और	कार्यवाही	का	अनुशासन	समिति	द्वारा	किए	गए	निष्कर्ष

23.यदि आवेदक अधिवक्ता के खिलाफ कोई	अपराधिक शिकायत दाखिल या प्राथमिकी		
दर्ज या दंडिक कार्यवाही आरंभ की गई है :-			
क्र.स. अभिकथन और कार्यवाही का विवरण	न्यायालय का निष्कर्ष		
24. किसी भी अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता (ओं), जो उम्मीदवारी को आगे बढ़ाएगी, जिसमें पेशेवर समितियों की सदस्यता, पुरस्कार और सम्मान आदि शामिल हैं, को नीचे दिए गए बॉक्स में सूचीबद्ध किया जा सकता है। (दस्तावेजी प्रमाण संलग्न किया जा सकता है):			
<u>वचनबंध</u>			
१) मैं एतद्द्वारा पृष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि आवेदन और संलग्न प्रमाणपत्र में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य/सही और पूर्ण है। मैंने कोई संबंधित जानकारी नहीं छिपाई है। मुझे इस बात की पूर्ण जानकारी है कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी झूठी/गलत पाई जाती है, तो पैनल में शामिल होने के लिए मेरी उम्मीदवारी को रद्द माना जाएगा और मामला समुचित प्राधिकारी को भेजा जाएगा।			
2) मैं ईपीएफओ के मामलों के बारे में अधिनियम के अंतर्गत नियम और विनियम के तहत आवश्यक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने का भी वचन देता हूं।			
3) मैं यह भी वचन देता हूँ की जब कभी ईपीएफओ को आवश्यकता होगी, मै सभी केस फाइलो और रिकॉर्ड को ईपीएफओ को वापस करने का वचन देता हू ।			
4) मैं ईपीएफओ द्वारा अधिसूचित शुल्क अनुसूची	से सहमत हूँ ।		
	अधिवक्ता के हस्ताक्षर नामांकन संख्या मोबाइल नंबर		

स्थान और तिथि-

आवेदन संख्या			(ईपीएफओ द्वारा भरा जाना है)
अतिरिक्त सूचना पत्रक (मौजूदा पैनल अधिवक्ताओं द्वारा भरा जाय, नए पैनल के लिए आवेदन करने के लिए) 1. पैनल अधिवक्ता का नाम:। 2. उच्च न्यायालय/सीजीआईटी । और ॥ मुंबई के लिए पैनलित			
3. पैनल में अवधि:			
पक्ष में लिए गए निर्णय मामले का शीर्षक	खिलाफ में लिए निर्णय	गए	वापस भेजा गया
1.			
2.			
 लंबित मामलों की संख्या अधिवक्ता के पास लम्बित सबसे पुराने का विवरण: विशेष उपलब्धियां, यदि कोई हो 			
9 आवेदक अधिवक्ता की टिप्पणी, यदि कोई हो:			
स्थान: दिनांक:			(आवेदक के हस्ताक्षर और नाम)

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR EMPANELMENT OF ADVOCATES for Mumbai-II Zone, Thane

Employees Provident Fund Organisation (EPFO), on behalf of the Central Board, Employees Provident Funds, a statutory body of the Ministry of Labour & Employment, Government of India, proposes to engage Panel Counsel (s) to represent the Central Board, EPF before Bombay High Court and CGIT I & II, Mumbai, District consumer Forum (Mumbai, Thane, Navi Mumbai, Raigadh, Palghar) & District court and CAT, Mumbai.

The practicing advocates who are registered with Bar Council of India /State Bar Council are eligible for empanelment. The qualification, experience, schedule of fees, other terms and conditions and the application format in which the application has to be made, have been prescribed.

The Advocates who are on the existing panel of EPFO shall cease to be on the panel of EPFO after new panel is finalized against this notice. Therefore, existing panel advocate may also apply afresh in response to this notice.

Eligible practicing advocate must submit application in the format prescribed in Annexure "A" and Annexure "B" enclosed herewith, along with all supporting documents in a sealed envelope to

Additional Central Provident Fund Commissioner, Zonal Office, Employees Provident Fund Organisation, Vardan Commercial Complex 6th Floor, MIDC, Road No 16, Wagle Estate, Thane. Mumbai- 400604

The envelope should be super scribed as following:-

"Application for Empanelment of Advocate for High Court/CGIT I & II etc"

The last date of receiving Applications in the prescribed format along with supporting documents is 29th October, 2021 till 16.00 hours

Application for empanelment at EPFO does not confer any right/assurance whatsoever, to an applicant that he/she will be empanelled on the panel of EPFO. Letters to selected advocates confirming their empanelment will be issued by EPFO separately.

GUIDELINES FOR EMPANELMENT OF ADVOCATES

Following guidelines are designed to provide and regulate the manner and procedure for empanelling the advocates to represent and assist EPFO before various courts and for regulating the referrals of the cases and payment of fee/remuneration. These guidelines shall supersede all existing instructions in this regard, if any, and is subject to change without assigning any reason.

1. Eligibility of Empanelment

Before filing the application form, the candidates are advised to carefully read and follow the eligibility criteria, instructions and terms & conditions for empanelment of Advocates in EPFO mentioned herein below:- t

(a) Qualification and experience for conducting cases in Bombay High Court

- i) Be enrolled/ registered as an advocate with the State Bar Council
- ii) Have a minimum, relevant experience of **Ten years** of handling Civil, Service, Labour, Arbitration matters and other cases before a High Court with a fair knowledge of labour laws with special reference to Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (E.P.F. and M.P. Act, 1952) or upcoming Social security Code.

(c) Qualification and experience for conducting cases in CGIT

- i) Be enrolled/ registered as an advocate with the State Bar Council.
- ii) Have a minimum, relevant experience of **Ten years** of handing Civil, Criminal, Service. Labour, Arbitration matters and other cases with a fair knowledge of labour laws with special reference to Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (E.P.F. and M.P. Act, 1952) or upcoming Social security Code.

2. Tenure of Empanelment

The initial empanelment will be for the period of about two years i.e. for the period 01.12.2021 to 31.12.2023 Performance of empanelled advocates shall be reviewed at regular interval for continuance in the panel of Advocate.

3. Payment of Fee and Other Conditions

- (i) The fee payable to Advocates shall be governed by the Schedule of fee annexed as Annexure "C" with these guidelines as amended from time to time.
- (ii) The Competent Authority shall have the right in exceptional cases to approve the payment of a higher fee than the fee mentioned in the annexed schedule keeping in

view the importance of the matter and the efforts put in by the advocate in a particular case.

(ii) No retainer fee shall be paid to any panel Advocate merely because such advocate has been empanelled

4. Procedure for Empanelment

- a. The applicant advocate must apply on the format prescribed by the EPFO only and No other format will be entertained.
- b. An applicant advocates wiling to be empanelled for more than one forum (i.e.for Bombay High Court or CGIT I & II) may apply separately for each forum in separate envelope superscribed as mentioned earlier.
- c. Any application received after the last date prescribed in the advertisement shall not be entertained.
- d. No applicant advocate shall be called for interview/interaction unless he/she satisfies the eligibility conditions and is shortlisted for the same.
- e. Depending upon the requirement and number of applications received, EPFO reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview/interaction for empanelment.
- f. Merely fulfilling the eligibility criteria will not confer any right on an applicant advocate to be called for interview/interaction and to be selected.
- g. The decision of the competent authority regarding short listing and selection of the candidates shall be final.
- h. Canvassing in any form shall be treated as a disqualification. The candidature of such applicants shall be cancelled forthwith.
- i. A list of shortlisted applicant advocates with the date, time and venue of Interview/interaction will be intimated on their personal e-mail ID.

- j. The applicant advocate shall bring original documents at the time of interview/interaction.
- k. The list of selected advocates will be made available on EPFO websitewww.epfindia.gov.in empanelment will be issued by EPFO separately Letter to applicant advocates confirming their empanelment will be issued by EPFO Separately.

5. Duties of the Empanelled Advocates:

- 1. The Advocate shall not advise any party or accept any case against the EPFO in which he/she has appeared or is likely to be called upon to appear for or advise which is likely to affect or lead to litigation against the EPFO.
- 2. Timely appearance of the Counsel to contest the cases for EPFO in the Court is a must. His/her absence in the Court, without any reasonable ground and notice in advance, will not be accepted. The empanelled advocate should not depute their Junior Advocate to defend the case.
- 3. EPFO sends the information to the panel advocates through email regarding entrustment of a case and after receiving the e-mail, it is duty of the panel Advocates to collect the brief/copy of petition along with assignment letter from the concerned office of EPFO at the earliest.
- 4. EPFO is free to engage any advocate of its own choice and an empanelled Advocate shall make no claim that he/she alone should be entrusted with EPFO's legal matter (s).
- 5. Refusal by any advocate to accept any work without any reasonable cause (e.g. on grounds of conflict of interest) may entail removal of such advocate from the panel, forthwith without waiting for the empanelment period to expire.
- 6. The advocates shall accept the terms and conditions of the empanelment as determined by the EPFO from time to time.
- 7. In order to ensure that there is effective check on the cases being conducted, the Advocates on the panel must report the status of the cases after each date of hearing. Failure to submit status report will be a ground for removal of the name of the lawyer Concerned from the panel.
- 8. In cases where on the request of the Union of India, Ministry of Labour & Employment have also to be represented, no extra fee shall be paid to the advocate to watch and safeguard the interests of Union of India, Ministry of Labour & Employment if CBT is already a party.

- 9. If required, render all assistance to Special or Senior Counsel engaged in particular cases before the High Court and other judicial bodies.
- 10. Keep EPFO informed and updated on all-important developments in the designated cases, dates of hearing, order of the court on the date of its pronouncement, supplying copy of orders/judgment etc.
- 11. Furnish monthly statement about the cases represented by him/her before the High Court/CGIT I & II or any other authority and their outcomes.
- 12. When any case attended by him/her is decided against the Organisation, the Advocate concerned must give considered opinion regarding the reasons for such adverse order and the advisability of filing an appeal from such a decision not later than 5 working days of the order (kuchha copy).
- 13. 30% of the fees payable to the counsel shall be deducted if the certified copy of the judgment is not handed over to the Legal cell of EPFO within three days (excluding the time taken by the Court in preparation of the copy) from the date of judgement.

6. Removal from Panel

EPFO reserves the right to terminate the empanelment of a Counsel with one month's notice in writing without assigning any reason. The counsel may also resign from the panel by serving one month's written notice.

Empanelment shall be liable to be cancelled due to occurring of any of the following disablements on the part of the Advocate.

- (i) Giving false information in the application for empanelment.
- (ii) Failing to attend the hearing of the case without any sufficient reason and/or prior information
- (iii) Not acting as per EPFO's instructions or going against specific instructions
- (iv) Threatening. Intimidating or abusing any of the EPFOs employees, officers, or representatives
- (v) Passing on information relating to EPFO's case on to the opposite parties or their advocates or any third party which is likely to cause any damage to the EPFO interests.
- (vi) Giving false or misleading information to the EPFO relating to the proceedings of the case; and
- (vii) Seeking frequent adjournments or not objecting the adjournment moved by other party without sufficient reason

(viii) Frequent absence from the court proceedings even if "pass over or "proxy" is obtained by an advocate.



ANNEXURE A

APPLICATION NO	(To be filled by EPFO)
----------------	------------------------

APPLICATION FORM FOR EMPANELMENT IN EPFO

(TO BE FILLED IN BY ALL APPLICANT ADVOCATES)

TO,

The Additional Central Provident Fund Commissioner, Zonal Office, Employees Provident Fund Organisation, Vardan Commercial Complex 6th Floor, MIDC, Road No 16, Wagle Estate, Thane. Mumbai- 400604
Telephone:- -022-68806602

Name (in Block letter)
Father's name
Court for which applied
CHECKLIST
List of documents attached (please √)
Copy of all Law degree certificates
Experience Certificate
Duly filed Annexure-A & B
Others (Please specify):1. 2.

	PERSONAL DETAILS (in Block Letters)
1	Name in Full
2	Father's/ Husband's Name
3	Date of Birth
4	Nationality
5	Marital Status
6	Address for correspondence with PIN
7	Address of office/chamber, if any, with PIN
8	Mobile Number(s)
9	Email ID:
10	Are you related to any EPFO employee? If so, please give details (Viz. Name, Designation, place of work & relationship with the applicant)

13. Details of Educational qualification (

Examination	Name of the	Class	% of Marks	Subjects	Year of
Passed	Board/University	Division			Passing
Graduation		9 11 3 7	H	_	
LLB/Law				4	
Graduation				h	
Degree	-				
Post-					
Graduation					
Other					
Professional					
Qualifications					

Department/PS	U/Statutory Bo	dy/Autonomous Bo	ne Panel of any ot ody etc., and if yes, mpanelment may be	the details below
Name o Department/PS Body/Autonomo	U/Statutory	rom	То	
2.			-	
	_4			
3.				6.
		ोवध	1718	
		worked as Legal F Is and the supporti	Researcher (LR) attac ng documents: -	ched to any
Name of Court/	judge F	Period of Research	Supporting	g documents
	弁 マチ		AT 1/20	1.4
	60/	Lag	1 1/0	
16. If one or more advocates are associated as juniors of the applicant, their details be provided below:				
SI. No. Nam	e & contact no	of the advocate	Enrolment	no. with date
	62	Y.,	1/0	
			49	
	h	AIDM		
17. Infrastructu provided below	ral facilities ava		licant (please tick if a	vailable) be
SI. No.	Office space	Office clerk	Steno/typist	Support staff
18. No. of Case	es relating to EF	PF and MP Act'195	2, if handled earlier:	-
SI. No	Title of case (I	Documentary proof	f must be attached)	

19. Whether the applicant has been engaged (through Vakalatnama) as counsel in any landmark or mother case? If yes, the particulars of the case with copy of the judgment wherein his/her name is recorded as advocate for one of the parties (Copy of order/ judgment be attached as proof):			
Name of	the Court	Case title	Nature of Judgment
20. Whether Income Tax return is being filed for last five years? Yes/No (If yes, please attach copies of ITR) 21. Details of Bank Account / Aadhaar Number be provided below: -			
(Bank, Ad	count Details coount Number, of the branch and le	PAN number	Aadhaar Number
	(EES A	1285	RGAN
		g has ever been commenced e Bar Council for alleged profe	
SI. No.	Details of allegation	ons and Proceedings	Finding made by the Disciplinary Committee.
		STEE ST	
		_ + +(0 _	
23. Whether any criminal complaint has ever been filed or FIR registered or any criminal proceeding has ever commenced against the applicant advocate:			
SI. No.	Details of allegation	ons and Proceedings	Finding made by the Court

24. Any additional professional qualification (s), which will further the candidature, including membership of professional societies, awards and honours etc. may be listed in the box below. (Documentary proof may be attached):		
UNDERTAKING		
DIVIDENTARING		
1) I hereby confirm and declare that the information furnished in the application and in the attached Certificate is true/correct and complete to the best of my knowledge and belief. I have not concealed any relevant information. I am fully aware that if any of the information furnished by me is found to be false/ incorrect, my candidature for the empanelment will be treated as cancelled and matter will be referred to the appropriate authority. 2) I also undertake to maintain absolute secrecy about the cases of the EPFO as required under the Act. Rules and Regulations there under.		
3) I also undertake to return all case files and records to the EPFO as and when required by EPFO.		
4) 1 agree with the Fee Schedule notified by EPFO		
Signature of Advocate		
Enrolment Number		
Mobile Number		
Place and Date-		

ANNEXURE-	- B
APPLICATION NO (To be filled by EPFO)	
ADDITIONAL INFORMATION SHEET (To be filled in by existing Panel advocates , applying for fresh empanelment)	
1. Name of the Panel Advocate:	
2. Empanelled for High Court / CGIT I & II Mumbai	
3. Duration in the Panel:	
4 Total No. of cases allotted	
5. No. of cases Decided:	L

In favour case title	Against	Remanded back
	W/. Lasa	30
1		
2		JIN VIN
		75,

6. No. of cases pending:	
7. Details of oldest pending with the advocate:	
3	- 47
8 Special achievements, if any:	
77 (151)	
9 Remarks of applicant advocate, if any:	

(Signature and name of the applicant)

Place: Date: